फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती रेखा कुंवर बनाम विपक्षी : श्रीमती केसर कुंवर व अन्य

किस्म मुकदमा – 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पत्रावली संख्या : 31/25

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 27.05.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षी संख्या 1 से 20 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त। विपक्षी संख्या 1 से 19 अनुपस्थित। आवाजे दिलवाई गई। विपक्षी संख्या 1 से 19 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। विपक्षी संख्या 20 द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। विपक्षी संख्या 20 का जवाव का अवसर बंद किया जाता हैं। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थी व विपक्षीगण की पैतृक भूमि है जिसमें प्रार्थीगण का हक हिस्सा निहित है। प्रार्थी व विपक्षीगण के मध्य कानूनी रूप से बंटवाड़ा नहीं हुआ है। प्रार्थी के कथनानुसार विपक्षीगण प्रार्थीगण के हक हिस्से की भूमि में जबरन दखलअंदाजी कर रहें तथा प्रार्थीगण को बेदखल करने की धमकी दे रहें है जिससे विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किये जाने का निवेदन किया। विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया।

प्रकरण में प्रथम दृष्टया पाया कि प्रार्थनाग्रस्त परिशिष्ट (क) की भूमि में प्रार्थीगण खातेदार है तथा परिशिष्ट (ख) की भूमि को प्रार्थीगण द्वारा पैतृक सम्पति बताया जिसमें अपना हक हिस्सा निहित होना बताया तथा खातेदार समदा पत्नी कालु का वारिसान बताया। प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान में सामलाती खातेदारी से दर्ज है जिसका कानूनी रूप से विभाजन नहीं हुआ है प्रार्थीगण प्रार्थनाग्रस्त परिशिष्ट (क) की भूमि में खातेदार हैं। प्रार्थी द्वारा कथन कहा की विपक्षी प्रार्थी को बेदखल करने की धमकी दे रहें हैं। प्रार्थनाग्रस्त परिशिष्ट (क) की भूमि में प्रार्थी खातेदार है तथा परिशिष्ट (ख) की भूमि में प्रार्थी का हक हिस्सा निहित हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होने से अपूरणीय क्षति व सुविधा संतुलन का विन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं। उपरोक्त तीनों विन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: : आदेश : :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा कलवल पटवार हल्का वरणी तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. की जमाबंदी संवत् 2078–81 की परिशिष्ट (क) की खाता संख्या नया 114 की आराजी नम्बर 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 किता 07 रकबा 1.0000 हैक्टयर भूमि व परिशिष्ट (ख) की खाता संख्या [illegible] की आराजी संख्या 79, 80, 81 किता 03 रकबा 0.4500 है. भूमि में विपक्षीगण मूल [illegible] के निस्तारण होने तक मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति [illegible] होकर न[illegible] से कम हो । निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.29 16:17:24 IST
Reason: SelfAttested